

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3024 /

जबलपुर, दिनांक 03 / 06 / 2025

IV-12-14/80 Pt VII-T

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 12/08/2024 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/3025 /

जबलपुर, दिनांक 03 / 06 / 2025

IV-12-14/80 VII Pt VII-T

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
२५/६